

ग्राम स्वराज अभियान

अभियान के उद्देश्य

अभियान "सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास" के नाम से किया जाता है।

अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सरकार की गरीब समर्थक पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना, गरीब परिवारों तक पहुँच बनाना और उन्हें विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है।

अभियान की गतिविधियाँ

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों, 33 लाख निर्वाचित पीआरआई सदस्यों, 5 करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों, विधायकों और सांसदों की भागीदारी के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र / राज्य और स्थानीय सरकारें भी प्रगति में भागीदार हैं।

ग्राम स्वराज अभियान के दौरान एक विशेष प्रयास के रूप में, पात्र परिवारों / व्यक्तियों की संतृप्ति 530 जिलों में शामिल 21,058 चिन्हित गाँवों में सात प्रमुख गरीब-गरीब कार्यक्रमों के तहत की जाएगी (कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां चुनाव आचार संहिता लागू है)। चिन्हित योजनाएँ इस प्रकार हैं।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- सौभाग्य
- उजाला योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और
- मिशन इन्द्रधनुष।

अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण भी होगा, जो लाइन विभागों की विभिन्न योजनाओं और प्रत्येक जीपी क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के तहत उपलब्ध धन के बारे में है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

[“http://gsa.nic.in/”](http://gsa.nic.in/)